बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

आदेश संख्याः— 3/अ0प्र0—1—276/12 1464 /पटना, दिनांक :— 9.9.22

श्री मुजीबुल हक, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सासाराम—2 के विरूद्ध मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत कनक सिमरिया छलका से मैनपुरा पथ निर्माण कार्य में सीमेन्ट कंक्रीट पेभमेन्ट एवं प्रीमिक्स कारपेंटिग का कार्य अनुमोदित विशिष्टि के अनरूप नहीं कराने, फ्लैंक में मिट्टी कार्य का proper compaction नहीं कराने, पथ में पुलियों के approach का level deck slab के level से उँचा होने, दो पुलियों के पारामेट में crack पाये जाने आदि आरोपों पर आरोप पत्र गठित कर कार्यालय आदेश संख्या 28 दिनांक 08.06.2020 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई जिसके निमित्त मुख्य अभियंता—3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री प्रवीण कुमार, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता—3 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया।

संचालन पदधिकारी के पत्रांक 417 दिनांक 24.01.2022 के माध्यम से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में श्री हक के विरूद्ध गठित सभी पॉच आरोपों को अप्रमाणित पाया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपों को इस आधार पर अप्रमाणित माना गया है कि श्री मुजीबुल हक, कनीय अभियंता द्वारा मात्र द्वितीय चालू विपत्र की मापी अंकित की गई है एवं द्वितीय विपत्र में GSB कार्य का मापी अंकित है। चूँकि श्री हक द्वारा अन्य कार्य नहीं कराया गया है तथा जॉच प्रतिवेदन में GSB कार्य की मुटाई अंकित नहीं है अतएव श्री हक के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवदेन की समीक्षोपरान्त उससे सहमत होते हुए श्री मुजीबुल हक, कनीय अभियंता को आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री मुजीबुल हक, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सासाराम—2 सम्प्रति कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी को प्रश्नगत आरोप से मुक्त किया जाता है।

6/9/22

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :— 3/अ0प्र0—1—276/12 1464 /पटना, दिनांकः— 9.9.22

प्रतिलिपिः— सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/ विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/ कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सासाराम—2/सीतामढ़ी/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—4, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ श्री मुजीबुल हक, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/9/22

अभियंता प्रमुख

(P.N) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–276/12 1464 /पटना, दिनांकः– 9.9.22

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

(P.N) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in